

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

202

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प...गनेडा.....

आदेश

प्रार्थी क "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गनेडा य भूअ.नि. 5724 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दलमा प0ह0 गनेडा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमावन्दी सम्बत् 2076-79 खाता संख्या 173, 174 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>दलमा</u> <u>प0ह0</u> <u>गनेडा</u>	173 174	678/2 666, 667, 669, 679, 680	<u>रामबहादुर</u> <u>भागूराम</u> <u>करनाराम</u> <u>भागूराम</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़) जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 25.10.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 234
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री करनाराम भागूराम, जागह दलमा
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।